



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 12 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 12.02.2021
GCMS NO.:- 2021/59

श्री कैलाश चन्द्र डाड पुत्र श्री गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 09.03.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.01.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 12/2021/(09.03)/169 दिनांक 12.02.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 09.03.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 09.03.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2021 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 09.03.2021) के माध्यम से अपना पक्ष रखा कि मेरे द्वारा आवेदन दिनांक 02.01.2021 में वर्णित सूचना की प्रमाणित छायाप्रतियां चाही गई थी जो लोक सूचना अधिकारी ने मुझे गुमराह करते हुए अपने पत्रांक 2698 दिनांक 19.02.2021 में यह अंकित किया कि आप द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सम्परिवर्तन पत्रावली किस कार्यालय की है तथा प्रकरण में सम्परिवर्तन किस प्रयोजन से किया गया तथा किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदि का सुस्पष्ट उल्लेख न होने से सूचना



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)






प्रकरण संख्या 12/2021 (सू.अ.)
श्री कैलाश चन्द्र डाड निवासी मण्डफिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

तैयार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है जबकि मेरे द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण, पत्रावली संख्या, आदेश सहित दिनांक अंकित की गई है। अतः वांछित सूचना दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/56 दिनांक 04.03.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह है कि प्रार्थी श्री कैलाश चन्द्र डाड पुत्र श्री गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदोसर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2021 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय को दिनांक 05.01.2021 को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व मूल/16 दिनांक 11.02.2021 से अवगत कराया गया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वांछित सूचना से संबंधित सम्परिवर्तन पत्रावली किस कार्यालय की है तथा प्रकरण में सम्परिवर्तन किस प्रयोजन से एवं किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, अर्थात् सूचना का स्पष्ट विवरण नहीं होने से सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2698 दिनांक 19.02.2021 से प्रार्थी को अवगत कराया गया, जिस पर वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण आदिनांक अप्राप्त है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना के संबंध में अवगत करा दिए जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।




लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)





प्रकरण संख्या 12/2021 (सू.अ.)
श्री कैलाश चन्द्र डाड निवासी मण्डफिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/56 दिनांक 04.03.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2698 दिनांक 19.02.2021 से उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा है किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.01.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा आवेदन के बिन्दु संख्या 3 व 4 में पत्रावली संख्या एवं सम्परिवर्तन किस प्रयोजन से किया गया है इसका विवरण उपलब्ध कराया गया है। अपीलार्थी ने बिन्दु संख्या 3 में कृषि भूमि को आवासीय भूमि में सम्परिवर्तन आदेश की प्रति चाही गई है तथा बिन्दु संख्या 4 में पत्रावली संख्या "क" भूरू./2/2001 का अंकन कर सम्पूर्ण पत्रावली संबंधी सूचनाएँ/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को पत्रावली संख्या "क" भूरू./2/2001 के संबंध में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।



(के. के. शर्मा)

आई. ए. एस.
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक:- 09/03/2021

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./12/2021(सू.अ.)/269

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री कैलाश चन्द्र डाड पुत्र श्री गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)